वित्त निर्देश 09/2008

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग,
दाऊ कल्याण सिंह भवन
मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 85/155/वित्त/नियम/चार/2008, रायपुर, दिनांक 16.04.2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग

अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर

समस्त विभागाध्यक्ष

समस्त संभागीय आयुक्त

समस्त जिलाध्यक्ष,

छत्तीसगढ़ ।

विषय: -दिनांक 1.1.1996 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण ।

संदर्भ:- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 202/201/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 07.07.2007

संदर्भित परिपत्र द्वारा दिनांक 1.1.1996 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों की पेंशन/परिवार पेंशन दिनांक 1.4.2007 से पुनरीक्षित किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये है ।

2. संदर्भित परिपत्र के संबंध में कतिपय कर्मचारी संघों एवं शासकीय सेवकों द्वारा निम्न बिंदुओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है:-

[i] उक्त परिपत्र में यू.जी.सी. तथा ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करते हुए सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनर/परिवार पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षित किये जाने का उल्लेख न होने से इनके पेंशन पुनरीक्षण की पात्रता के संबंध में भ्रम की स्थिति है ।

[ii] दिनांक 1.1.1996 से उच्च शिक्षा विभाग के प्राचार्य (स्नातक स्तर) को पुनरीक्षित वेतनमान रूपये 12000-420-18300 में न्यूनतम वेतन रूपये 12840/- तथा प्राचार्य (स्नातकोत्तर स्तर) को पुनरीक्षित वेतनमान रूपये 16400-450-20900-500-22400 में न्यूनतम वेतन रूपये 17300/- पर वेतन निर्धारित करने संबंधी उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99 दिनांक 11.10.99 के अनुसार पेंशन/परिवार पेंशन की गणना हेतु उक्त न्यूनतम वेतन क्रमशः रूपये 12840/- तथा रूपये 17300/- मान्य नहीं किया जा रहा है ।

3. उपर्युक्त के संबंध में आदेशानुसार स्पष्ट किया जाता है कि:-

[i] वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र क्रमांक 202/201/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 07.07.2007 के निर्देश यू.जी.सी. तथा ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों के आधार पर पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होगें ।

[ii] उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99 दिनांक 11.10.99 के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्नातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्यो हेतु दिनांक 1.1.1996 से लागू वेतनमानों के न्यूनतम के स्थान पर क्रमशः रूपये 12840/- तथा रूपये 17300/- को आधार मानकर पेंशन/परिवार पेंशन पुनरीक्षित किया जाएगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के.चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 86/155/वित्त/नियम/चार/2008, रायपुर, दिनांक 16.04.2008

प्रतिलिपि–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट (www.finance.cg.gov.in) में अपलोड करने हेतु ।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग